# सर हरिसिंह गौड़ का तलाक

प्रेमचन्द

# सर हरिसिंह गौड़ का तलाक-बिल

अभी बहुत दिन नहीं हुए कि तलाक का नाम सुनकर हिन्दू समाज के कान खड़े हो जाते थे और उसी योरोप की नक़ल समझकर तिरस्कृत कर दिया जाता था। पर इन कई वर्षों में बहुत बड़ा सामाजिक परिर्वतन हो गया है और समाज की न्याय-चेतना बहुत कुछ जागृत हो गयी है। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकार समान होने चाहिए। अभी तो यह हाल है कि पुरुष में चाहे कितने ही दोष हों, चाहे वह कितना ही लम्पट हो, उसके साथ कितना ही अत्याचार करे, औरत के लिए कहीं त्राण नहीं। वह उसकी ख़बर लेना छोड़ दे, अपनी दूसरी शादी कर ले, किन्तु स्त्री पर उसका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता है। स्त्री में रुप न हो, वह फूहड़ हो, उसके सन्तान न होती हो, या किसी कारण-वश उससे असन्तुष्ट हों, तो उसके लिए रास्ता साफ़ है। लेकिन पुरुष में कितनी ही बुराइयाँ हों, स्त्री के लिए कहीं शरण नहीं। यह एकतरफी नीति बहुत दिन चली, लेकिन अब नहीं चल सकती। अब तो न्याय क तकाज़ा है कि स्त्री को भी वही अधिकार प्राप्त हों। सर हरिसिंह ने तलाक़ के लिए तीन कारणों का निर्देश किया है-

1. जबकि पुरुष अव्यस्थित चित हो।
2. जबकि पुरुष को कोढ़ की बिमारी हो।
3. जबकि वह नपुंसक हो।

स्त्री पुरुष में मनोमालिन्य के और बहुत से कारण हो सकते हैं। उनका इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। हम नहीं समझते, वर्तमान रुप में किसी को उससे क्या अपत्ति हो सकती है। हिन्दू-विवाह का आदर्श बहुत ऊँचा है। हिन्दू-विवाह और तलाक़ दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, लेकिन इस आदर्श का मूल्य बहुत कम हो जाता है, जब उसके पालन का भार केवल स्त्रियों पर रख दिया जाता है।विशेषकर जब हिन्दू देवियाँ खुद इस बिल की माँग पेश कर रही हैं तो पुरुषों को उसे स्वीकार करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं रह जाता। जब तक देवियाँ चुपचाप, बिना किसी तरह का असंतोष प्रकट किये अपने कष्टों को सहन करती जाती थीं, पुरुषों के पास अपने को धोखा देने का एक बहाना था। वह कह सकते थे- हमारी देवियाँ पतिव्रत पर इतनी जान देने वाली हैं कि चाहे पुरुष कितना भी जुल्म करे उनके मन में कोई दुर्भावना